Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अप्रैल (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश का मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य 3
- ISARC: कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास 4
- 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप: ADR 5
- 44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप: ADR 6
- अवमानना कार्यवाही में CAT के आदेश के विरुद्ध अपील 7
- अतिरिक्त महाधिवक्ता 7
- घाटे की पूर्ति हेतु विद्युत की खरीदारी 8
- गर्मी से संबंधित बीमारी के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देश 8
- नक्सली साजिश मामले में NIA ने 12 जगहों पर छापेमारी की 9
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द 10
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा 10
- मंगल पांडे 11
- टोंस नदी 12
- प्रयागराज में नए ट्रांसफार्मर 13
- धरोहर काशी की 13
- विश्व होम्योपैथी दिवस 14
- अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता अभियान 14
- आतिथ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश 15
- रामनवमी पर विशेष 15
- GI टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर 16
- अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना 17
- श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन 17
- IIT कानपुर का सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ सहयोग 18
- सबसे हल्की बुलेट प्रूफ़ जैकेट 18
- वर्ष 2025 के लिये महाकुंभ की तैयारी 18
- काशी विश्वनाथ धाम और UPSNA के बीच समझौता ज्ञापन 19

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश का मक्का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्का का उत्पादन 3.2 मिलियन टन (mt) से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है।

मुख्य बिंदु:

- वर्तमान में, विभिन्न फसल मौसमों **(खरीफ, रबी और ज़ैद) में राज्य का मक्का उत्पादन 830,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन** होने का अनुमान है।
  - उपज लगभग **25.49 क्विंटल (100 किलोग्राम) प्रति हेक्टेयर** है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
  - राज्य की योजना मक्के का रकबा **200,000 हेक्टेयर बढ़ाने और अतिरिक्त 1.1 मिलियन टन** उत्पादन बढ़ाने की है।
  - इससे राज्य का मक्का क्षेत्र और उत्पादन क्रमश: **1.03 मिलियन हेक्टेयर MH) तथा 3.2 मिलियन** टन तक बढ़ जाएगा।
- राज्य विभिन्न मक्का प्रचार कार्यक्रमों पर लगभग 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और **खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन** देगा।
- मक्के की फसल का **भोजन, पोल्ट्री चारा और ईंधन (अनाज आधारित इथेनॉल) के रूप में विविध उपयोग** होता है।
- इसका उपयोग **फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक, कपड़ा, कागज़ और अल्कोहल उद्योगों** में भी किया जाता है।
  - **धान और गेहूँ के बाद मक्का भारत में तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण** अनाज की फसल है तथा कुल **खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% हिस्सा** है।
  - विश्व स्तर पर, अनाज फसलों के बीच अपनी उच्च आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण मक्के को '**अनाज की रानी**' कहा जाता है।
- उद्योग ने अनुमान लगाया है कि इथेनॉल और पोल्ट्री क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिये भारत को अगले चार-पाँच वर्षों में मक्का उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता के कारण मक्के की मांग बढ़ रही है। लोग मक्के को इसके **उच्च पोषण मूल्य, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, वसा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैरोटीन और मैग्नीशियम, जस्ता, फास्फोरस एवं ताँबे** जैसे आवश्यक खनिजों के लिये पसंद करते हैं।

मक्का

- **तापमान:** 21-27°C के बीच
- **वर्षा:** अधिक वर्षा।
- **मृदा का प्रकार:** पुरानी जलोढ़ मृदा।
- **शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य:** कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश।
- **FAO (खाद्य और कृषि संगठन)** के आँकड़ों के अनुसार, भारत 2020 में मक्का का पाँचवाँ सबसे बड़ा उत्पादक था।
- इसका उपयोग **भोजन और चारे** दोनों के रूप में किया जाता है।
- **अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज, उर्वरक और सिंचाई** जैसे आधुनिक आदानों के उपयोग ने मक्के के उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है।
- **मक्का पर प्रौद्योगिकी मिशन** मक्का के लिये सरकार की पहलों में से एक है।

नोट :

ISARC: कम मीथेन उत्सर्जन के साथ चावल का विकास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी 7वीं ISARC समन्वय समिति (ICC) की बैठक के लिये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI), दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र (ISARC), वाराणसी में एकत्र हुए।

मुख्य बिंदु:

- बैठक की अध्यक्षता करते हुए, **IRRI के अंतरिम महानिदेशक ने कहा कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र** में चावल आधारित कृषि-खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी शोधों के लिये एक साक्ष्य-आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है।
  - वर्ष 2024 में, **कम मीथेन उत्सर्जन वाले चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान** केंद्रित किया गया है।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, ISARC **सीधी बुआई वाला चावल (DSR)** और **वैकल्पिक गीले तथा सुखाने (AWD)** जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान एवं प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है।
- **DSR, IRRI के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है**, जो तेज़ी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है, जल तथा श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है।
  - पारंपरिक पोखर ट्रांसप्लांट **चावल तकनीक की तुलना में यह मशीनीकरण के लिये अधिक अनुकूल है** और जलवायु परिवर्तन में योगदान करने वाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करता है।
- ISARC ने अनुसंधान, विस्तार, क्षमता विकास और प्रौद्योगिकी प्रसार में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिससे हमारे **कृषि परिदृश्य के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का समाधान करने हेतु ठोस समाधान सामने आए हैं।**
- कुछ उपलब्धियाँ जैसे **अल्ट्रा-लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल की किस्मों** को जारी करना, स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल, डायरेक्ट सीडेड चावल एवं सीड्स विदाउट बॉर्डर व राष्ट्रीय भागीदारों से ISARC के तकनीकी समर्थन के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में नवाचारों को दोहराने का आग्रह किया।

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI)

- IRRI एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में फिलीपीन सरकार के समर्थन से फोर्ड एवं रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी।
- लॉस बानोस, फिलीपींस में मुख्यालय वाले इस संस्थान के कार्यालय एशिया और अफ्रीका के 17 चावल उत्पादक देशों में हैं।
- IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।
- इसका उद्देश्य चावल किसानों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा कल्याण में सुधार करना एवं भावी पीढ़ियों के लिये चावल उगाने वाले पर्यावरण की रक्षा करना है।

सीधी बुआई वाला चावल (DSR)

- अनुत्पादक जल प्रवाह को कम करने के लिये यह एक व्यवहार्य विकल्प है।
- DSR नर्सरी से रोपाई के बजाय खेत में बोए गए बीजों से चावल की फसल तैयार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- पारंपरिक चावल स्थापना प्रणाली के लिये पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

वैकल्पिक रूप से गीला करना और सुखाना (AWD)

- यह एक जल-बचत तकनीक है जिसे किसान चावल के खेतों में सिंचाई के जल की खपत को कम करने के लिये लागू कर सकते हैं, बिना इसकी उपज को कम किये।
- AWD में, तालाब का जल गायब होने के कुछ दिनों बाद सिंचाई का जल प्रयोग किया जाता है।

नोट :

44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप: ADR

चर्चा में क्यों ?

चुनाव अधिकार संस्था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा विश्लेषण किये गए स्व-शपथ हलफनामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से 225 (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं।

- रिपोर्ट से पता चला है कि आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से **29% गंभीर आपराधिक मामलों** का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- राज्यों के बीच आपराधिक मामलों के वितरण के संबंध में, **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश** अपने 50% से अधिक सांसदों के साथ आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
- **गंभीर आपराधिक मामलों** के लिये मानदंड:
  - वह अपराध जिसके लिये अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक है
  - यदि कोई अपराध गैर-ज़मानती है
  - यदि यह **चुनावी अपराध** है (उदाहरण के लिये: रिश्वतखोरी)
  - राजकोष को हानि से संबंधित अपराध
  - ऐसे अपराध जो **हमला, हत्या, अपहरण या बलात्कार** से संबंधित हैं
  - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8) में वर्णित अपराध
  - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध
- **संविधान के** अनुच्छेद 105 के तहत, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने संसदीय कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।
  - विशेषाधिकारों में से एक यह है कि किसी सांसद को किसी नागरिक मामले में सत्र या सदन समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

गैर-ज़मानती अपराध

- **कोई भी अपराध जो CrPC की पहली अनुसूची या किसी अन्य कानून के तहत ज़मानती नहीं बताया गया है**, उसे गैर-ज़मानती अपराध माना जाता है।
- **गैर-ज़मानती अपराध का आरोपी व्यक्ति ज़मानत को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है।** CrPC की धारा 437 में यह प्रावधान है कि **गैर-ज़मानती अपराध के मामले में ज़मानत कब ली जा सकती है।**
- गैर-ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते **आरोपी निम्नलिखित आधारों के अंतर्गत न आता हो:**
  - यह मानने के उचित आधार हैं कि उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है।
  - यह कि अभियुक्त ने संज्ञेय अपराध किया है और उसे पहले भी मृत्युदंड, सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था।
  - यह कि अभियुक्त को पहले दो या अधिक अवसरों पर संज्ञेय अपराध करने के लिये दोषी ठहराया गया था, जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम की कैद की सज़ा नहीं थी।
  - ऐसे असाधारण मामले हैं जिनमें **CrPC की धारा 437(1)** के आधार पर कानून व्यक्तियों के पक्ष में विशेष विचार करता है, यानी जहाँ आरोपी **नाबालिग, महिला, बीमार व्यक्ति** आदि है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)

- यह भारत में एक **अराजनीतिक और गैर-पक्षपातपूर्ण, गैर-लाभकारी संगठन है**, जो 25 वर्षों से अधिक समय से चुनावी तथा राजनीतिक सुधारों पर कार्य कर रहा है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1999** में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा की गई थी।

नोट :

44% मौजूदा सांसदों पर आपराधिक आरोप: ADR

चर्चा में क्यों ?

चुनाव अधिकार संस्था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा विश्लेषण किये गए स्व-शपथ हलफनामों के अनुसार, 514 मौजूदा लोकसभा सांसदों में से 225 (44%) के खिलाफ आपराधिक मामले हैं।

- रिपोर्ट से पता चला है कि आपराधिक आरोपों वाले मौजूदा सांसदों में से **29% गंभीर आपराधिक मामलों** का सामना कर रहे हैं, जिनमें हत्या, हत्या का प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देना, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- राज्यों के बीच आपराधिक मामलों के वितरण के संबंध में, **उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश** अपने 50% से अधिक सांसदों के साथ आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं।
- **गंभीर आपराधिक मामलों** के लिये मानदंड:
  - वह अपराध जिसके लिये अधिकतम सज़ा 5 वर्ष या उससे अधिक है
  - यदि कोई अपराध **गैर-ज़मानती** है
  - यदि यह **चुनावी अपराध** है (उदाहरण के लिये: रिश्वतखोरी)
  - राजकोष को हानि से संबंधित अपराध
  - ऐसे अपराध जो **हमला, हत्या, अपहरण या बलात्कार** से संबंधित हैं
  - **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 8)** में वर्णित अपराध
  - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988** के तहत अपराध और **महिलाओं के खिलाफ अपराध**
- **संविधान के अनुच्छेद 105** के तहत, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने संसदीय कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।
  - विशेषाधिकारों में से एक यह है कि किसी सांसद को किसी नागरिक मामले में सत्र या सदन समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

गैर-ज़मानती अपराध

- **कोई भी अपराध जो CrPC की पहली अनुसूची या किसी अन्य कानून के तहत ज़मानती नहीं बताया गया है**, उसे गैर-ज़मानती अपराध माना जाता है।
- **गैर-ज़मानती अपराध का आरोपी व्यक्ति ज़मानत को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। CrPC** की धारा 437 में यह प्रावधान है कि **गैर-ज़मानती अपराध के मामले में ज़मानत कब ली जा सकती है।**
- गैर-ज़मानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है, बशर्ते **आरोपी निम्नलिखित आधारों के अंतर्गत न आता हो:**
  - यह मानने के उचित आधार हैं कि उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है।
  - यह कि अभियुक्त ने संज्ञेय अपराध किया है और उसे पहले भी मृत्युदंड, सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था।
  - यह कि अभियुक्त को पहले दो या अधिक अवसरों पर संज्ञेय अपराध करने के लिये दोषी ठहराया गया था, जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम की कैद की सज़ा नहीं थी।
  - ऐसे असाधारण मामले हैं जिनमें **CrPC की धारा 437(1)** के आधार पर कानून व्यक्तियों के पक्ष में विशेष विचार करता है, यानी जहाँ आरोपी **नाबालिग, महिला, बीमार व्यक्ति** आदि है।

नोट :

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)

- यह भारत में एक **अराजनीतिक और गैर-पक्षपातपूर्ण, गैर-लाभकारी संगठन है**, जो 25 वर्षों से अधिक समय से चुनावी तथा राजनीतिक सुधारों पर कार्य कर रहा है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1999** में भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद के प्रोफेसरों के एक समूह द्वारा की गई थी।

अवमानना कार्यवाही में CAT के आदेश के विरुद्ध अपील

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 की धारा 17 के तहत अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) के एक आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है।

- न्यायालय ने कहा कि **भारत के संविधान के** अनुच्छेद 226 के तहत ऐसे किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती।

मुख्य बिंदु:

- **केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323-A के तहत की गई थी।**
  - यह संघ या सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरणों के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की **भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों के निर्णय का प्रावधान करता है।**
  - **पूरे भारत में CAT की 19 बेंच हैं।**
- CAT एक विशेषज्ञ निकाय है जिसमें प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य शामिल हैं जो अपने विशेष ज्ञान के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी न्याय देने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।
  - एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो, CAT का प्रमुख होता है।

संविधान का अनुच्छेद 226

- संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिये बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध तथा अधिकार वारंट **सहित रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।**
  - यहाँ 'किसी अन्य उद्देश्य' का अर्थ किसी **सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन से है**। इस प्रकार **रिट को लेकर उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में काफी व्यापक है।**
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि उच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिये रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं, यानी यह उस मामले तक लागू नहीं होता है जहाँ सामान्य कानूनी अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है।
- उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल **अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बल्कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है।**

अतिरिक्त महाधिवक्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद ने कार्यालय से इस्तीफा दे दिया।

- AAG के रूप में नियुक्त होने से पहले, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में यूपी के लिये स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- अतिरिक्त महाधिवक्ता एक **कानूनी अधिकारी होता है जो भारत में किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के महाधिवक्ता (AG)** की सहायता करता है।
- उनकी नियुक्ति **AG की सिफारिश** पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- AAG, AG द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करता है, जैसे राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में उपस्थित होना, कानूनी राय देना और दलीलों का मसौदा तैयार करना।

घाटे की पूर्ति हेतु विद्युत की खरीदारी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से 5,500 मिलियन यूनिट (Mu) विद्युत का व्यापार किया है।

- उच्च ऊर्जा मांग अवधि (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान लगभग 4,000 Mu की आपूर्ति की जाएगी।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2023 में, राज्य ने 28,284 मेगावाट (MW) की उच्च मांग स्थापित की, जबकि पावर कॉर्पोरेशन ने मांग-आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिये पाँच राज्यों से 3,000 Mu ऊर्जा की व्यवस्था की।
- यूपी के पावर बैंकिंग राज्य भागीदारों में **मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश** शामिल हैं।
- उत्तर प्रदेश की **अधिकतम ऊर्जा मांग वर्ष 2024 में 31,000 MW** और **वर्ष 2028 तक 53,000 MW** तक पहुँचने की संभावना है।
  - हालाँकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करेगी।
  - राज्य ने **4-5 वर्षों में 22,000 MW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है।**

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)

- **14 जनवरी 2000 को** यूपी में विद्युत क्षेत्र के सुधारों और पुनर्गठन के परिणामस्वरूप स्थापित किया गया, **जो विद्युत क्षेत्र का केंद्र बिंदु है** जो विद्युत के **संचारण, वितरण तथा आपूर्ति के माध्यम** से क्षेत्र की योजना एवं प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह पेशेवर रूप से प्रबंधित उपयोगिता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक को विश्वसनीय और लागत कुशल विद्युत की आपूर्ति करती है।

गर्मी से संबंधित बीमारी के प्रबंधन हेतु स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में गर्मी के दौरान गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन की तैयारियों के साथ सभी ज़िलाधिकारियों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, इस गर्मी के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से **अधिक तापमान** रहने की संभावना है, खासकर उत्तर प्रदेश के मध्य और उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में।
  - विभिन्न संस्थानों ने मार्च और मई 2024 के बीच **बीमारियों के मौसमी प्रकोप की आशंका** जताई है।
  - मार्च से मई 2024 तक देश के मध्य और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में **हीटवेव** की अधिक संभावना है।

नोट :

- स्वास्थ्य विभाग गर्मी से संबंधित बीमारियों के साथ-साथ उनकी रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित करने के लिये अंतर-विभागीय समन्वय स्थापित करेगा।
  - विभाग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर **शीतल एवं स्वच्छ पेयजल** की व्यवस्था करेगा तथा गर्मी से बचाव के लिये आश्रय स्थल उपलब्ध कराएगा।
  - **मौसम के पूर्वानुमान और तापमान** को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर स्थापित स्क्रीनों पर प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि स्कूलों में **गर्मी से बचाव पर जागरूकता सत्र आयोजित किये** जाएंगे।
  - विभाग चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण एवं जागरूकता को **प्राथमिकता देगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इन बीमारियों की तुरंत पहचान करने एवं उनका उपचार करने के** कौशल से लैस हैं।
  - **आवश्यक दवाओं, अंत:शिरा तरल पदार्थ, आइस पैक, मौखिक पुनर्जलीकरण लवण और अन्य आवश्यक आपूर्ति** की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
  - गर्मी से संबंधित बीमारियों और उन्हें रोकने तथा प्रबंधित करने के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिये **शैक्षिक सामग्री वितरित की जाएगी।**

नक्सली साजिश मामले में NIA ने 12 जगहों पर छापेमारी की

चर्चा में क्यों ?

भारत विरोधी साजिश मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने उत्तर प्रदेश और बिहार में 12 जगहों पर छापेमारी की।

मुख्य बिंदु:

- कुल में से, **उत्तर प्रदेश के बलिया** ज़िले में **11 स्थानों** और **बिहार के कैमूर ज़िले** में एक स्थान की तलाशी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के **आतंकवाद विरोधी दस्ते (ATS)** द्वारा दर्ज मामले के संबंध में की गई थी।
  - तलाशी अभियान के दौरान, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड सहित **कई डिजिटल उपकरणों** के साथ-साथ प्रतिबंधित **नक्सली** संगठन के पर्चे जैसे **आपत्तिजनक दस्तावेज़** ज़ब्त किये गए।
- NIA की अब तक की जाँच के अनुसार, प्रतिबंधित संगठन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सहित **उत्तरी क्षेत्रीय ब्यूरो** में अपनी उपस्थिति को फिर से सक्रिय करने के लिये सक्रिय प्रयास कर रहा है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

- **NIA** भारत की **केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी** है जो भारत की **संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता** को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की जाँच करने के लिये अधिकृत है। इसमें शामिल है:
  - विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण
  - परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के
  - **हथियारों, नशीली दवाओं** और **नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी** तथा सीमा पार से घुसपैठ।
  - संयुक्त राष्ट्र, इसकी **एजेंसियों** और अन्य **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** की **अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों व प्रस्तावों** को लागू करने **के लिये बनाए गए वैधानिक कानूनों** के तहत अपराध।
- इसका गठन **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008** के तहत किया गया था।
- एजेंसी को **गृह मंत्रालय की लिखित उद्घोषणा** के तहत **राज्यों की विशेष अनुमति के बिना** राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच से निपटने का अधिकार है।
- **मुख्यालय :** नई दिल्ली

भारत में नक्सलवाद

- नक्सलवाद शब्द का नाम **पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलबाड़ी** से लिया गया है।

नोट :

- इसकी शुरुआत स्थानीय ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिन्होंने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 में **कानू सान्याल** और **जगन संथाल** के नेतृत्व में मेहनतकश किसानों को भूमि के उचित पुनर्वितरण के उद्देश्य से की गई थी।
- पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे पूर्वी भारत: छत्तीसगढ़, ओडिशा के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में भी फैल गया है।
- ऐसा माना जाता है कि नक्सली **माओवादी राजनीतिक भावनाओं** और विचारधारा का समर्थन करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का लाइसेंस रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी 16,000 मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिये। इस निर्णय के अनुसार मदरसों में नामांकित छात्रों को अब सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा।

मुख्य बिंदु:

- 22 मार्च 2024 को, **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को **असंवैधानिक** घोषित कर दिया
  - न्यायालय ने इस अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि **मदरसा शिक्षा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध** है और राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि धार्मिक शिक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जाना चाहिये।
  - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय ने** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर **रोक लगा दी**।
- मदरसा लाइसेंस रद्द करना धार्मिक शिक्षा संस्थानों के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
  - इस कदम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित करना और सभी शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम व मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना है।
- उल्लेखनीय है कि **उत्तर प्रदेश में** 25,000 से अधिक मदरसे हैं, जिनमें से लगभग **16,500 मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त** हैं।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

- इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों)** के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करना है।
- इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
- इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये **उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड** की स्थापना की गई थी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा मस्जिद हटाने की याचिका पर सुनवाई करेगा

चर्चा में क्यों ?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के लिये तारीख तय की है।

मुख्य बिंदु:

- कटरा केशव देव खेवट में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य 17 द्वारा दायर मुकदमों में दावा किया गया है कि मस्जिद **कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि** पर बनाई गई थी।

नोट :

- **विवादित भूमि का इतिहास:**
  - ओरछा के **राजा वीर सिंह बुंदेला ने भी वर्ष 1618 में** उसी परिसर में एक **मंदिर बनवाया** था और **वर्ष 1670 में औरंगज़ेब ने** पूर्वकाल के **मंदिर की जगह पर मस्जिद बनवाया** था।
  - माना जाता है कि **मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर** का निर्माण **लगभग 2,000 वर्ष पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी** में हुआ था।
  - उस परिसर के पूर्ण स्वामित्व के लिये हिंदू प्रतिनिधियों की मांग के कारण एक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है जहाँ **वर्ष 1670 में मुगल सम्राट औरंगज़ेब** के आदेश पर केशव देव मंदिर को नष्ट कर दिया गया था।
  - इस क्षेत्र को नज़ूल भूमि माना जाता था- गैर-कृषि राज्य भूमि जिसका स्वामित्व पहले मराठों और फिर अंग्रेज़ों के पास था।
  - यह मंदिर मूल रूप से **वर्ष 1618 में जहाँगीर के** शासनकाल के दौरान बनाया गया था और इसका संरक्षण औरंगज़ेब के **भाई तथा प्रतिद्वंद्वी दारा शिकोह** ने किया था।
  - **वर्ष 1815 में, बनारस के राजा** ने **ईस्ट इंडिया कंपनी** से 13.77 एकड़ ज़मीन खरीदी।
  - बाद में **श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट** की स्थापना की गई।
  - ट्रस्ट ने वर्ष 1951 में मंदिर पर मालिकाना हक हासिल कर लिया।
  - 13.77 एकड़ ज़मीन इस शर्त के साथ ट्रस्ट के अधीन रखी गई थी कि इसे कभी बेचा या गिरवी नहीं रखा जाएगा।
  - वर्ष 1956 में, मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिये श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी।
  - वर्ष 1968 में, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए, जहाँ मंदिर प्राधिकरण ने समझौते के हिस्से के रूप में ज़मीन का एक हिस्सा ईदगाह को दे दिया।
  - मौजूदा विवाद में मंदिर के याचिकाकर्त्ता शामिल हैं जो ज़मीन के पूरे हिस्से पर कब्ज़ा चाहते हैं।

मंगल पांडे

चर्चा में क्यों ?

महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण।

- उन्हें '1857 के भारतीय विद्रोह' का प्रणेता माना जाता है।

मुख्य बिंदु:

- उनका जन्म **19 जुलाई, 1827 को फ़ैज़ाबाद के पास एक कस्बे में हुआ था** जो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश है।
- वह **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री** में शामिल हुए।
  - उन्होंने **जानवरों की चर्बी वाले कारतूसों को पेश करने के लिये** ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि इससे सैनिकों की धार्मिक भावनाएँ आहत होती थीं।
  - आखिरकार, विद्रोहियों का यह आंदोलन भारत के अन्य हिस्सों तक पहुँच गया और जिसके कारण **सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ।**
  - विरोध और विद्रोह के आंदोलन को **वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह** के रूप में जाना जाता है, जिसे **प्रथम स्वतंत्रता संग्राम** भी कहा जाता है।
- **29 मार्च, 1857** को पांडे और उनके साथी सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया तथा उन्हें गोली मारने का भी प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें **8 अप्रैल, 1857 को बैरकपुर में फाँसी** दे दी गई।
- **अक्तूबर 1984 में,** उनके प्रयासों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने उनकी **छवि के साथ एक डाक टिकट जारी किया।**

नोट :

टोंस नदी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के एक गाँव में दो लोग टोंस नदी में डूब गए।

मुख्य बिंदु:

- टोंस यमुना **की सबसे बड़ी सहायक नदी** है। यह उत्तराखंड में **गढ़वाल क्षेत्र** से होकर हिमाचल प्रदेश को छूती हुई बहती है।
- यह सबसे **प्रमुख बारहमासी भारतीय हिमालयी नदियों** में से एक है।
- इसका उद्गम उत्तराखंड के **बंदरपूंछ पर्वत** से 6,315 मीटर की ऊँचाई पर होता है।
- इसमें यमुना से भी अधिक जल होता है जो यह उत्तराखंड के **देहरादून के पास कालसी** के नीचे मिलती है।
- **पब्बर और आसन** नदियाँ टोंस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं।
  - **आसन दो छोटी नदी प्रणालियों का संगम है,** एक में **हिमालय श्रृंखला से दक्षिण की ओर विकास नगर से टिहरी की ओर** (केंद्र में मसूरी के साथ) बहने वाली धाराएँ शामिल हैं और दूसरी में **निचली शिवालिक पहाड़ियों (जो देहरादून और सहारनपुर ज़िलों को अलग करती हैं) से उत्तर-पश्चिम की ओर बहने वाली धाराएँ शामिल हैं।**

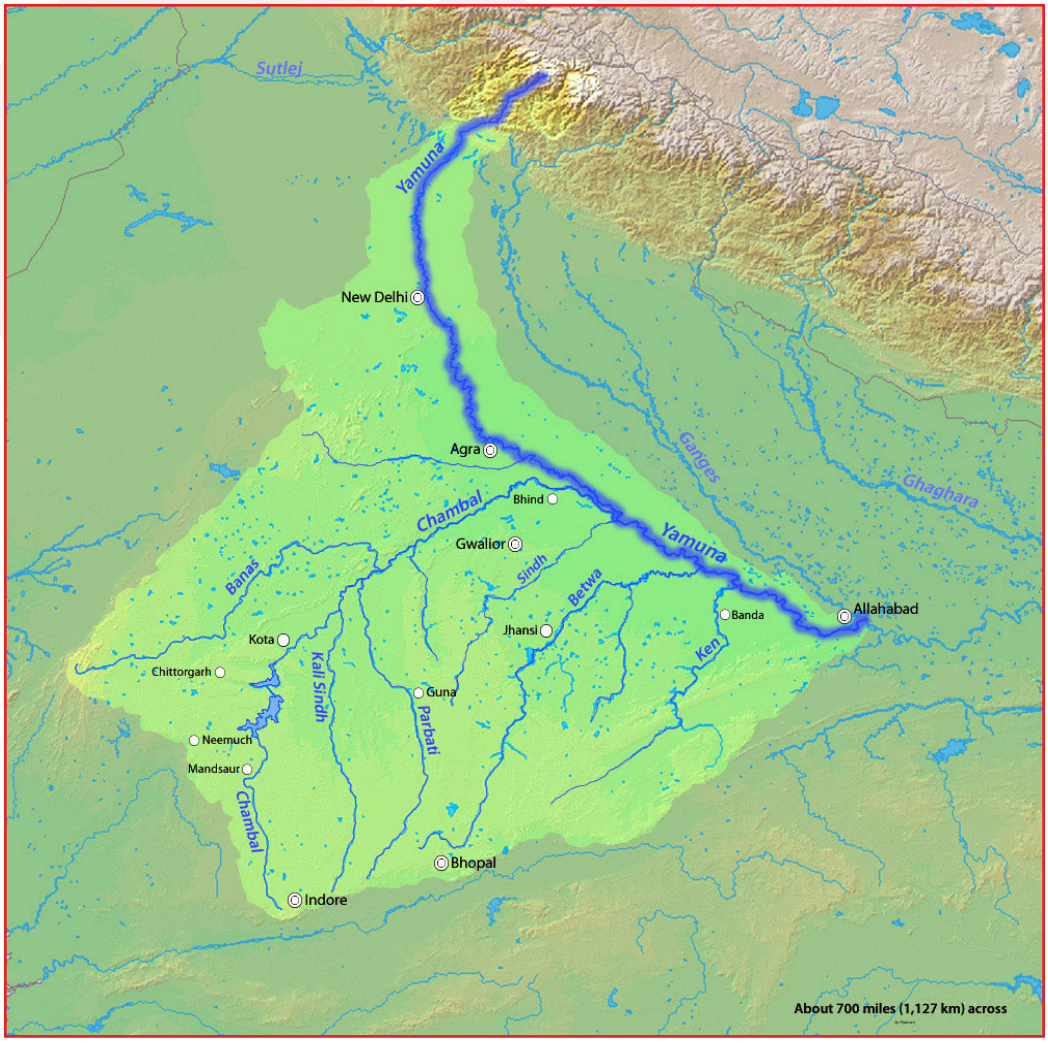

नोट :

यमुना नदी

- यमुना नदी उत्तर भारत में गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।
- यह विश्व के व्यापक जलोढ़ मैदानों में से एक **यमुना-गंगा मैदान** का एक अभिन्न भाग है।
- इसका स्रोत निचली **हिमालय पर्वतमाला** में **बंदरपूँछ शिखर** के दक्षिण-पश्चिमी किनारों पर **6,387 मीटर की ऊँचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर** में स्थित है।
- यह **उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली** से प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में **संगम (जहाँ कुंभ मेला आयोजित होता है) स्थल पर गंगा** में मिल जाती है।
- महत्त्वपूर्ण बाँध हैं: लखवार-व्यासी बाँध (उत्तराखंड), ताज़ेवाला बैराज बाँध (हरियाणा) आदि।
- महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ : चंबल, सिंध, बेतवा और केन।
- **यमुना नदी से संबंधित सरकारी पहल:**
  - यमुना एक्शन प्लान
  - फरवरी 2025 तक यमुना को साफ करने के लिये दिल्ली सरकार की छह सूत्री कार्य योजना

प्रयागराज में नए ट्रांसफार्मर

चर्चा में क्यों ?

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अनुसार, वे ज़िले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रयागराज में चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दे रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

- खराब ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाली विद्युत कटौती को रोकने के लिये प्रयागराज के शहरी क्षेत्र को **294 नए ट्रांसफार्मर** मिले हैं।
- विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिये शहर में दो अतिरिक्त उप-स्टेशनों का निर्माण किया जाना था, जिसमें **मालवा** में एक स्टेशन अप्रैल 2024 से परिचालन शुरू करने के लिये तैयार था।
- **खराब विद्युत तारों से होने वाली विद्युत खराबी को कम करने के भी प्रयास किये गए हैं।**

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL)

- यह **उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड** का सह-उत्तराधिकारी है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत वितरण करना है।
- इसकी **स्थापना 5 जुलाई 2003** को हुई थी, इसका **मुख्यालय वाराणसी में है।**

धरोहर काशी की

चर्चा में क्यों ?

भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन (IMF) ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व समर्थन करने के लिये 13 एवं 14 अप्रैल, 2024 को दो दिवसीय भव्य कार्यक्रम 'धरोहर काशी की' निर्धारित किया है।

मुख्य बिंदु:

- राज्यसभा सदस्य और IMF के संयोजक सतनाम सिंह संधू के अनुसार, **20 से अधिक देशों के राजदूत** नाव अभियान के माध्यम से काशी विश्वनाथ धाम तथा राजसी रिवरफ्रंट का दौरा करेंगे तथा गंगा आरती देखेंगे।
- प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा आयोजित **'बनारसी साड़ी - भारतीय विरासत और कुशल कारीगरों का मिश्रण'** नामक **फैशन शो नमो घाट** पर होने वाला है।
  - इसमें **बॉलीवुड कलाकार** कृति सेनन और रणवीर सिंह रनवे पर वाराणसी के शिल्प का प्रदर्शन करेंगे।
  - फैशन शो के दौरान मशहूर भोजपुरी गायक और अभिनेता रवि किशन द्वारा **सांस्कृतिक एवं संगीतमय प्रस्तुति** दी जाएगी।

नोट :

- IMF द्वारा **प्रतिष्ठित बुनकरों को भी श्रद्धांजलि** दी जाएगी, जिन्होंने काशी के उत्कृष्ट शिल्प की उन्नति और सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन (IMF)

- IMF एक **गैर-सरकारी संगठन** है, जिसकी स्थापना चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने की थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के बीच उनके साझा इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र में योगदान को उजागर करके व नागरिक जीवन में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित कर **राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा** देना है

विश्व होम्योपैथी दिवस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोमतीनगर में होमियो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस (10 अप्रैल) समारोह का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस अवसर पर **सैमुअल हैनिमैन की 269वीं जयंती** मनाई गई, जिन्हें व्यापक रूप से **होम्योपैथी के जनक** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इस्कॉन मंदिर लखनऊ के पुजारी श्याम दास प्रभु ने **शारीरिक कल्याण के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के महत्त्व** पर ज़ोर दिया, तनाव और चिंता से निपटने के लिये **आध्यात्मिक एवं शारीरिक देखभाल के बीच संतुलन** का आग्रह किया।
- विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम है **"होम्योपरिवार: एक स्वास्थ्य, एक परिवार"**।

होम्योपैथी

- 'होम्योपैथी' शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, **होमोइस** का अर्थ है **समान** और **पैथोस का अर्थ है पीड़ा।**
- इसका सीधा सा मतलब है बीमारियों का उपचार सूक्ष्म खुराकों में निर्धारित पद्धति से करना, जो स्वस्थ लोगों द्वारा लेने पर रोग के समान लक्षण उत्पन्न करते हैं।
- यह **उपचार के प्राकृतिक नियम**- **"Similia Similibus Curantur** (सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरंटूर)" पर आधारित है, जिसका अर्थ है "रोग के समान उपचार से रोग को ठीक किया जाना"।
- 19वीं सदी की शुरुआत में **डॉ. सैमुअल हैनीमैन** (1755-1843) ने इसे **वैज्ञानिक आधार** प्रदान किया था।

अग्नि सुरक्षा पर जागरूकता अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 14 अप्रैल, 2024 को 'राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिये अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें' विषय के तहत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया।

मुख्य बिंदु:

- यह दिन उन सभी साहसी अग्निशामकों के भी सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने **वर्ष 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में एक जहाज़ विस्फोट** के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था।
- अग्निशमन विभाग ने शॉर्ट सर्किट, गैस रिसाव या आगजनी को रोकने की दिशा में निवारक उपायों के बारे में दुकान मालिकों और निवासियों को शिक्षित करने के लिये आवासीय क्षेत्रों, अपार्टमेंट, औद्योगिक इकाइयों, बाज़ारों, मॉल तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है।

भारत में अग्नि सुरक्षा के संबंध में वर्तमान प्रावधान

- अग्निशमन सेवा देश की सबसे महत्त्वपूर्ण आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं में से एक है, जो **नगरपालिका कार्यों** से संबंधित **भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है।**

नोट :

- वर्तमान में, आग की रोकथाम और अग्निशमन सेवाएँ संबंधित **राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (UT)** तथा **शहरी स्थानीय निकायों (ULB)** द्वारा आयोजित की जाती हैं।

- **भारत का राष्ट्रीय भवन कोड (NBC), 2016:** भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित, NBC एक **"अनुशंसित दस्तावेज़"** है और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे कानूनों द्वारा इसे अपने स्थानीय भवन में शामिल करें, जिससे **सिफारिशें एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाएंगी।**
  - इसमें मुख्य रूप से **प्रशासनिक नियम,** सामान्य भवन आवश्यकताएँ जैसे **अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएँ,** संरचनात्मक डिज़ाइन और निर्माण (सुरक्षा सहित) प्रावधान शामिल हैं।
- **मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2003:** इसके तहत प्रत्येक बिंदु पर अग्नि निकासी **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** की ज़िम्मेदारी है। संबंधित विकास प्राधिकरण को मंज़ूरी उद्देश्यों के लिये मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भवन योजना प्रदान करनी होगी।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** के दिशा-निर्देश **अस्पतालों सहित सार्वजनिक भवनों** के लिये अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ-साथ **खुली जगह, निकास तंत्र, सीढ़ियों और निकासी ड्रिल के न्यूनतम स्तर** को बनाए रखने से संबंधित डिज़ाइन दिशा-निर्देशों को निर्धारित करते हैं।

आतिथ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार का निवेश

चर्चा में क्यों ?

अधिकारियों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है।

- **वर्ष 2028** तक राज्य की **वार्षिक पर्यटक संख्या 850 मिलियन तक** पहुँचने का अनुमान है।

मुख्य बिंदु:

- कमरे की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिये निवेश से होटल और रिज़ॉर्ट्स के माध्यम से **अतिरिक्त 80,000 आवास इकाइयाँ तैयार होने की संभावना** है।
- राज्य **वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज** और **आगरा** जैसे पर्यटन हॉटस्पॉट में **आतिथ्य इकाइयों** को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- किलों और महलों सहित विरासत संपत्तियों को विकास के लिये निजी क्षेत्र को पेश किया जा रहा है।
- पर्यटन नीति-2022 के तहत राज्य द्वारा विशिष्ट **ग्रामीण इलाकों में फार्म स्टे** स्थापित करने के लिये सब्सिडी भी प्रदान किया जा रहा है।
  - गृहस्वामियों को होमस्टे के लिये अपनी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि विरासत संपत्तियों के मालिकों को समझदार पर्यटकों के लिये अपने परिसर को विरासत होटल के रूप में परिवर्तित करने को आमंत्रित किया जा रहा है।
- राज्य का लक्ष्य वेलनेस सेंटर जैसे **मल्टी-एक्सपीरियंस सर्किट** विकसित करना और सारनाथ व कौशांबी जैसे बौद्ध स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
- यह साहसिक **पर्यटन, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनियाँ,** MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), कल्याण और इको-टूरिज़्म विकसित करके पर्यटन अनुभवों में विविधता लाने तथा समकालीन पर्यटन उत्पाद बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

रामनवमी पर विशेष

चर्चा में क्यों ?

डाक विभाग एवं प्रयाग फिलाटेलिक सोसायटी के तत्त्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर एक विशेष कवर जारी किया।

मुख्य बिंदु:

- **भगवान राम** जैसी प्रतिष्ठित सांस्कृतिक हस्तियों वाले टिकट संग्रह **लोगों और उनकी विरासत के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं।**

नोट :

- ये टिकट न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के 20 से अधिक देशों में भी लोकप्रिय हैं जहाँ वे **महाकाव्य रामायण** के पात्रों और कहानियों को दर्शाते हैं।
- अद्वितीय **राम नवमी-थीम वाला टिकट** प्रयागराज के मुख्य डाकघर में स्थित **फिलाटेलिक ब्यूरो में 25 रुपए में बिक्री पर होगा।**

प्रयाग फिलाटेलिक सोसायटी

- इसका **गठन 21 जुलाई 2017** को इलाहाबाद में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया था।
- इसका उद्देश्य सभी आयु समूहों के बीच डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना है, इसने पूरे भारत से सदस्यता आमंत्रित की है।

रामनवमी

- यह **वसंत ऋतु का हिंदू त्योहार** है।
- यह त्योहार **भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म का प्रतीक है।**
- यह दिन **चैत्र नवरात्रि का नौवाँ और आखिरी दिन है।** यह सामान्यत: प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल के ग्रेगोरियन महीनों में होता है।

GI टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

चर्चा में क्यों ?

छह नए उत्पादों के साथ, उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) टैग वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।

मुख्य बिंदु:

- इसमें **काशी की प्रसिद्ध 'तिरंगी बर्फी'** शामिल है, जो एक तिरंगे रंग की मिठाई है जिसका व्यापार भारत छोड़ो आंदोलन में **स्वतंत्रता सेनानियों** द्वारा एक बयान देने के लिये किया गया था।
- उत्तर प्रदेश में प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादों में **बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत एवं बाँस शिल्प, बरेली ज़रदोज़ी शिल्प और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल हैं।**
  - इन छह नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GI-टैग उत्पादों के साथ भारत का अग्रणी राज्य बना हुआ है।
  - **58 GI उत्पादों के साथ तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है।**

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

- **परिचय:**
  - भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा **नाम या चिह्न** है जिसका **उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है** जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं।
  - GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल **अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों** को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
  - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किये जाने से भी बचाता है।
  - एक पंजीकृत GI टैग **10 वर्षों के लिये वैध** होता है।
  - GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग** द्वारा की जाती है।
- **विधिक ढाँचा तथा दायित्व:**
  - **वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - यह **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते** द्वारा विनियमित एवं निर्देशित है।
  - इसके अतिरिक्त **बौद्धिक संपदा के अभिन्न घटकों** के रूप में औद्योगिक संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्त्व को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार किया गया, साथ ही इस पर अधिक बल दिया गया है।

नोट :

अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA) ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य बिंदु:

- सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर **दोपहर 12 बजे श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई।**
- IIA टीम ने **सूर्य की स्थिति, ऑप्टिकल/प्रकाशिकी सिस्टम के डिज़ाइन** व **इष्टतम उपयोग** की गणना की और साइट पर एकीकरण व संरेखण का प्रदर्शन किया।
  - IIA टीम ने **19 वर्षों के एक चक्र** के लिये श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान हेतु गणना का नेतृत्व किया, इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति, राम नवमी की कैलेंडर तिथियों पर आकाश में स्थिति का अनुमान लगाया।
  - टीम ने मंदिर के शीर्ष से मूर्ति के माथे तक सूरज की रोशनी लाने के लिये एक **ऑप्टो-मैकेनिकल प्रणाली** के डिज़ाइन का भी नेतृत्व किया, सिस्टम में **दर्पण और लेंस के आकार, आकृति तथा स्थान का निर्धारण** लगाया ताकि लगभग 6 मिनट तक मूर्ति पर पर्याप्त रोशनी पड़ सके।
- **डिवाइस का निर्माण ऑप्टिका, बैंगलोर द्वारा** किया गया है और साइट पर ऑप्टो-मैकेनिकल सिस्टम का **कार्यान्वयन** वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान **(CSIR-CBRI)** द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (Indian Institute of Astrophysics- IIA)

- IIA पूर्णत: **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित** भारत का एक प्रमुख शोध संस्थान है जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और संबंधित क्षेत्रों के अध्ययन के लिये समर्पित है
- इसमें कई **ओब्ज़र्वेशन सुविधाएँ** हैं, जिनमें तमिलनाडु के कवलूर में **वेणु बप्पू वेधशाला,** कर्नाटक में **गौरीबिदानूर रेडियो वेधशाला** और लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर में हनले वेधशाला शामिल हैं।

श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन

चर्चा में क्यों ?

विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ पदाधिकारी की उपस्थिति में राम नवमी के अवसर पर 'श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन' शुरू किया।

मुख्य बिंदु:

- आंदोलन की शुरुआत लमही गाँव में आयोजित **'महादीक्षा संस्कार'** से हुई, जहाँ 1,100 लोगों ने राम परिवार भक्ति आंदोलन को पूरे देश में ले जाने का संकल्प लिया।
- दलितों, आदिवासियों, किन्नरों और महिलाओं के एक समूह को दीक्षा लेने के बाद पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था।
- रामपंथी संस्कृति का प्रसार करेंगे और रामभक्ति आंदोलन को व्यापक दर्शकों तक लाएंगे। **लमही में राम संबंध मंदिर** के निर्माण से सभी धर्मों के लोगों को दर्शन की सुविधा मिलेगी।

रामनवमी

- यह **वसंत ऋतु का हिंदू त्योहार** है।
- यह त्योहार **भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान राम के जन्म का प्रतीक है।**
- यह दिन **चैत्र नवरात्रि का नौवाँ और आखिरी दिन है।** यह सामान्यत: प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल के ग्रेगोरियन महीनों में होता है।

नोट :

IIT कानपुर का सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के साथ सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

- इसके तहत AFMS और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में **सैनिकों के** सामने आने वाली **स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान** की दिशा में **नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिये सहयोग** करेंगे।
- यह **सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन** के लिये सशस्त्र बल केंद्र में AI डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा, जो भारत में **मेडिकल कॉलेजों में इस प्रकार का पहला** मेडिकल कॉलेज है।
- इस MoU के दायरे में फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियाँ और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की भी योजना बनाई जाएगी।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएँ

- सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (AFMS) **रक्षा मंत्रालय** के तहत **एक अंतर सेवा संगठन है,** जो **भारतीय सशस्त्र बलों** को कवर करता है।
- यह **वर्ष 1948 में अस्तित्त्व** में आया।

सबसे हल्की बुलेट प्रूफ़ जैकेट

चर्चा में क्यों ?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (DMSRDE), कानपुर ने BIS 17051 गोला-बारूद के स्तर 6 से सुरक्षा के लिये देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है।

मुख्य बिंदु:

- इस बुलेट प्रूफ जैकेट का **टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) चंडीगढ़** में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- यह जैकेट एक नए डिज़ाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहाँ नई प्रक्रियाओं के साथ नवीन सामग्री का उपयोग किया गया है।
- इस जैकेट का फ्रंट **हार्ड आर्मर पैनल (HAP)** इन-कंजंक्शन विद (ICW) और स्टैंड-अलोन डिज़ाइन दोनों में कई हिट्स को मात देता है।
- एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया फ्रंट HAP पॉलिमर बैकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है जो ऑपरेशन के दौरान पहनना आसान और आराम को बढ़ाता है।

टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला (TBRL)

- TBRL **चंडीगढ़ स्थित एक महत्त्वपूर्ण DRDO प्रयोगशाला** है। यह विभिन्न उच्च विस्फोटकों के विस्फोट, इनका विकास, घातकता, उत्पादन, प्रसंस्करण और लक्षण वर्णन के साथ ही हथियारों, गोले व अन्य गोला-बारूद के विखंडन अध्ययन, बमों, मिसाइलों एवं हवाई प्रणालियों की कैप्टिव उड़ान परीक्षण, विभिन्न सुरक्षात्मक प्रणालियों जैसे बॉडी कवच, वाहन कवच तथा छोटे हथियारों के गोला-बारूद के खिलाफ हेलमेट आदि का बैलिस्टिक मूल्यांकन में सक्रिय रूप से संलग्न है।

वर्ष 2025 के लिये महाकुंभ की तैयारी

चर्चा में क्यों ?

उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 में होने वाले भव्य दिव्य महाकुंभ के लिये कार्य कर रही है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले **आगंतुकों के लिये** बेहतरीन सुविधाएँ तैयार कर रही है।
  - कुंभ क्षेत्र में **आवास की व्यवस्था** के अलावा शहर में **लग्जरी होटलों का निर्माण** किया जा रहा है।
- कुंभ मेला **यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में आता है**
- कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा है, जिसके दौरान यात्री पवित्र नदी में स्नान करते हैं या डुबकी लगाते हैं।
  - यह **नासिक में गोदावरी नदी** के तट पर, **उज्जैन में शिप्रा नदी** के तट पर, **हरिद्वार में गंगा** के तट पर और **प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा पौराणिक नदी सरस्वती** के संगम स्थल पर होता है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम स्थल को '**संगम**' कहा जाता है।
- चूँकि यह भारत के चार अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जाता है, इसमें विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो इसे **सांस्कृतिक रूप से विविध त्योहार** बनाती हैं।
- एक **महीने तक चलने वाले इस मेले** की विशेषता एक विशाल टेंट वाली टाउनशिप का निर्माण है, जो कॉटेज, झोपड़ियों, प्लेटफॉर्मों, नागरिक सुविधाओं, प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों से परिपूर्ण है।
  - इसे सरकार, स्थानीय अधिकारियों और पुलिस द्वारा व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाता है।
- यह मेला विशेष रूप से वनों, पहाड़ों और गुफाओं में दूरदराज़ के स्थानों से आए **धार्मिक तपस्वियों की एक असाधारण शृंखला की उपस्थिति के लिये प्रसिद्ध है।**

काशी विश्वनाथ धाम और UPSNA के बीच समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों ?

श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड, महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी (UPSNA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने के लिये तैयार है।

मुख्य बिंदु:

- लखनऊ में आयोजित एक वैश्विक कार्यशाला के दौरान, पवित्र **शहर के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य** पर सांस्कृतिक गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव पर एक प्रस्तुति पर ज़ोर दिया गया।
  - इसके बाद, **महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों** और **सनातन कैलेंडर में प्रदोष** जैसी महत्त्वपूर्ण तिथियों पर आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में रंगों की एक विस्तृत शृंखला पेश करने का निर्णय लिया गया।
- UPSNA के निदेशक के अनुसार, अकादमी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की एक व्यापक योजना शीघ्र ही राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
  - राज्य सरकार से मंज़ूरी मिलने के बाद प्रस्तावित MoU पर हस्ताक्षर करने के लिये धार्मिक कार्य विभाग के निदेशक और संभागीय आयुक्त की सहमति मांगी जाएगी।
  - MoU के अनुसार स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को शामिल करके नई व्यवस्थाएँ बनाई जाएंगी।

उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी (UPSNA)

- यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में **संगीत, नृत्य और रंगमंच के प्रचार तथा संरक्षण** के लिये समर्पित एक प्रमुख संस्थान है।
- इसकी **स्थापना 13 नवंबर, 1963** को हुई थी।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :